कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,राजस्थान,जयपुर

क्रमाक एफ 15(25)2007 / गोप्र / प्रगुवस / दिनांक सितम्बर, 2012

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या सम 3015 / सी दिनांक 10.11.2010 द्वारा दिनांक 1.4.2010 को कार्यरत क्षेत्रीय प्रथम की अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया था। इस सूची के प्रकाशन के बाद निम्नांकित क्षेत्रीय प्रथम के नाम उनके समक्ष अंकित विवरणानुसार यथोचित वरिष्ठता क्रमांक पर उक्त सूची में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है :–

प्रस्तावित वरि. सं.	नाम क्षेत्रीय–प्रथम सर्व श्री	एससी / एसटी	जन्म तिथि	नाम सम्मिलित किये जाने का कारण
20 A	सुरेन्द्र कुमार पारीक पुत्र नृसिंह पारीक	—	15-11-1952	राज्यादेश 12(7)वन / 09 दिनांक 12.10.2010 द्वारा सहायक वन संरक्षक से क्षेत्रीय प्रथम के पद पर पदावनत किये जाने के परिणामस्वरूप आदेश दिनांक 10.11.2010 से जारी वरिष्ठता सूची में व.सं. 20 पर अंकित श्री रमा कान्त शर्मा एवं व.सं. 21 पर अंकित श्री बनवारी लाल शर्मा के मध्य सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।
70 A	राम लाल ताण्डी पुत्र मबूत राम	—	2-2-1959	श्री ताण्डी को आदेश दिनांक 19.6.2000 द्वारा अनिवार्य सेवा निवृत किया गया था। बाद में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 2033 / 2000 में दिनांक 15.2.2011 को पारित निर्णय की अनुपालना में इन्हें इस कार्यालय के आदेश संख्या 2551 / सी दिनांक 16.11.2011 द्वारा समस्त पारिणामिक लाभ वापस राज्य सेवा में लिये जाने के कारण इनका नाम आदेश दिनांक 10.11.2010 से जारी वरिष्ठता सूची में व.सं. 70 पर अंकित श्री देवेन्द्र कुमार जोशी एवं व.सं. 71 पर अंकित श्री सत्य नारायण सिंह शक्तावत के मध्य सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।
238 A	राम लाल पुत्र गणपत लाल	एस.सी.	2-5-1951	आदेश संख्या 2850 / सी दिनांक 8.9.2010 द्वारा इन्हें वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध क्षेत्रीय प्रथम के पद पर पदोन्नति दिये जाने के कारण इनका नाम नाम आदेश दि. 10.11.2010 से जारी वरिष्ठता सूची में व.सं. 238 पर अंकित श्री घनश्याम दास एवं व.सं. 239 पर अंकित श्री गनफूल वर्मा के मध्य सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्तानुसार नवीन नाम सम्मिलित किये जाने के कारण समस्त कर्मचारियों की वर्तमान वरिष्ठता क्रमांक को तदनुरूप संशोधित किया जाना भी प्रस्तावित है। यदि इस सम्बन्ध में किसी क्षेत्रीय प्रथम को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 5.10.2010 तक इस कार्यालय को प्रस्तुत कर दें। निर्धारित अवधि पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाकर प्रस्तावानुसार नवीन नाम सम्मिलित करते हुये वरिष्ठता सूची का अन्तिम रूप से प्रकाशन कर दिया जावेगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 15(25)2007 / गोप्र / प्रमुवस / 3084-3184 दिनांक 1 अक्टूबर, 2012

1 प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारियों को दी जाकर लेख हैं कि उनके अधीन कार्यरत क्षेत्रीय प्रथम को प्रचलित की जा रही इस आदेश की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें तथा इसकी एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करें।
2 मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर को वैबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
3 जांच अनुभाग कार्यालय हाजा
4 अध्यक्ष, विभागीय कर्मचारी समन्वय समिति, वन विभाग, जयपुर
5 रक्षी पत्रावली

मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)
जयपुर